

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 31 जुलाई, 2015 ई0 श्रावण 09, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या 182/2015/XXVII (9)/स्टाम्प-17/2009 देहरादून, 31 जुलाई, 2015

अधिसूचना

чо зпо-116

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड उप—निबन्धक सेवा नियमावली, 2004 में अग्रेतर संशोधन करने हेतु निम्नवत् नियमावली बनाते हैं:—

उत्तराखण्ड उप-निबन्धक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप-निबन्धक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड उप—िनबन्धक सेवा नियमावली, 2004 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) के स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्—

स्तम्म–1 वर्तमान नियम

5. भर्ती का स्रोत:-

- (1) सेवा की साधारण श्रेणी में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :--
- (क) सीधी भर्ती, आयोग के माध्यम से 65 प्रतिशत, (ख) पदोन्नित के माध्यम से— विभाग में कार्यरत स्थायी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, मुख्य निबन्धन लिपिकों तथा निबन्धन लिपिकों में से 25 प्रतिशत, जिनकी इस रूप में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवायें पूर्ण हो चुकी हों, परन्तु विभाग में कार्यरत मुख्य निबन्धन लिपिकों तथा निबन्धन लिपिकों में से 10 प्रतिशत अतिरिक्त पदोन्नितयां की जायेंगी, जो उल्लिखित अर्हकारी सेवा के साथ विधि रनातक की योग्यता भी रखते हों:

परन्तु, यह और कि पदोन्नित इस प्रकार की जायेगी कि यथासम्भव पदोन्नित व्यक्तियों की कुल संख्या किसी समय संवर्ग की सदस्य संख्या के 35 प्रतिशत से अधिक न हों।

टिप्पणी-पदोन्नति के प्रयोजनार्थ एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें उच्च वेतनमान के व्यक्तियों के नाम, उनकी ज्येष्ठता-कम में रखे जायेंगे, उसके पश्चात अगले निम्न वेतनमान के व्यक्तियों के नाम, उनकी ज्येष्ठता-कम में रखे जायेंगे और यदि वेतनमान बराबर-बराबर हों, तो उनके नाम उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर रखे जायेंगे ताकि उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बनी रहे।

स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5. भर्ती का स्रोत:-

- (1) सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :--
- (एक) उप-निबन्धक श्रेणी-11
 - (क) 65 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;
 - (ख) 35 प्रतिशत पद पदोन्नित के माध्यम से—विभाग में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, मुख्य निबन्धन लिपिकों तथा निबन्धन लिपिकों में से 25 प्रतिशत, जिनकी इस रूप में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवायें पूर्ण हो चुकी हों,

परन्तु यह कि विभाग में कार्यरत उन मुख्य निबन्धन लिपिकों तथा निबन्धन लिपिकों में से 10 प्रतिशत अतिरिक्त पदोन्नतियाँ की जायेंगी जो उल्लिखित अर्हकारी सेवा के साथ विधि स्नातक की योग्यता भी रखते हों;

परन्तु यह और कि पदोन्नित इस प्रकार की जायेगी कि यथासम्भव पदोन्नित व्यक्तियों की कुल संख्या किसी समय संवर्ग की सदस्य संख्या के 35 प्रतिशत से अधिक न हो।

(दो) उप—निबन्धक श्रेणी—I वेतनमान ₹
15600—39100 ग्रेड—पे ₹ 5400 के पद पर
पदोन्नित मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे
उप—निबन्धक श्रेणी—II वेतनमान ₹ 9300—34800
ग्रेड—पे ₹ 4600, में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के
प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की नियमित

सेवा पूर्ण कर ली, अनुपयुक्त को अरवीकार करते हुए चयन समिति के माध्यम से 'ज्येष्टता' के आधार पर की जायेगी।

नियम 16 का 3. संशोधन मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ –1 में दिये गये नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात:–

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

16-पदोन्नित द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-

उप- निबन्धक के पद पर पदोन्नित द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श चयनोन्नित (प्रकिया) नियमावली, 1970 (यथा

उत्तराखण्ड में लागू) के अनुसार की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया—

(क) विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नित द्वारा भर्ती की प्रकिया—

उप-निबन्धक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नित द्वारा भर्ती ''उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नित समिति'' का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिए गए मानदण्ड के आधार पर की जायेगीः

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक से संबंधित व्यक्ति सम्मिलित नहीं है तो ऐसी जातियों / जनजातियों और वर्गों, जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, से संबंधित कोई अधिकारी जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, चयन समिति के सदस्य के रूप में भाग लेना विनिर्दिष्ट किया जायेगा; (ग) नियुक्ति प्राधिकारी, पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा;

(घ) चयन समिति खण्ड (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि यह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थी का साक्षात्कार भी कर सकती है;

(ड.) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता कम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नित की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित करेगी;

(च) लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—

उप-निबन्धक श्रेणी-II के पदों पर पदोन्नित द्वारा भर्ती उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नित (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार की जायेगी। नियम 17 का निरसन

मूल नियमावली के नियम-17 को निरसित करते हुये शेष 4. नियमों को पुनर्सख्यांकित किया गया समझा जायेगा।

नियम 22 का संशोधन

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम -22 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगाः अर्थात्-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नानुसार है-वेतनमान ₹ 7450-225-11500

स्तम्म-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नानुसार है-वेतनमान ₹ 6,500-200-10500 यथा संशोधित वेतनमान ₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4200 यथा संशोधित वेतनमान ₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4600

> ग्रेड-। उप-निबन्धक के कुल सुजित पदों का तीस प्रतिशत होगा तथा पदोन्नित द्वारा ग्रेड-॥ से ₹ 15600-39100 ग्रेड-पे ₹ 5400 होगा। उप-निबन्धक ग्रेड-11 का प्रारम्भिक वेतनमान ₹ 9300-34800 ग्रेड पे- ₹ 4200 यथा संशोधित ₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4600 रहेगा।

> ग्रेड-। की तैनाती, जो कुल उप-निबन्धक के पदों का तींस प्रतिशत होगी, आवश्यकता एवं प्रशासनिक आधार पर विभागाध्यक्ष के निर्णयों से प्रशासनिक आधार पर यथास्थान नियुक्त किया जा सकेगा।

परिशिष्ट का संशोधन

6.

मूल नियमावली के स्तम्भ-1 में दिये गये परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात:-

स्तम्म–1 उत्तराखण्ड उप–निबन्धक सेवा नियमावली, 2004				स्तम्म-2 उत्तराखण्ड उप-निबन्धक सेवा नियमावली, 2004 परिशिष्ट					
परिशिष्ट—1									
क0सं0	पद का नाम	प्र	दों की संख्य	T	क0सं0	पद का नाम	प	दों की संख्य	Γ
10		स्थायी	अस्थायी	योग			स्थायी	अस्थायी	योग
1.	. उप—निबन्धक	33	_	33	1.	उप—निबन्धक श्रेणी—II	49	_	49

आज्ञा से, राकेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification no. 182/2015/XXVII(9)/Stamp-17/2009, Dehradun, dated July 31, 2015 for general information:

No. 182/2015/XXVII(9)/Stamp-17/2009 Dated Dehradun, July 31, 2015

NOTIFICATION

In exercise of power conferred by the proviso to Article 309 of "the Constitution of India," the Governor is pleased to made the following further amendment in the Uttarakhand Sub-Registrar Service Rules 2004:-

The Uttarakhand Sub-Registrar Service (Amendment) Rules, 2015

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called Uttarakhand Sub-Registrar Service (Amendment) Rules, 2015.

(2) It shall come into force at once.

In the Uttarakhand Sub-Registrar Service Rules, 2004, (hereinafter referred to as principal rules) for the existing rule 5 set out in column I below, the rule as set out in column 2 shall be substituted; namely-

Column-1 **Existing Rule**

5. Source of recruitment-

- (1) Recruitment to the General service (1) Recruitment to the various catrgories of shall be made from the following sources-
 - (a) Direct recruitment 65 percent (i) Sub-Registrar Grade-IIthrough Commission;
 - (b) By promotion-25 percent amongst the permanent clerical cadre employees, Chief Registration Clerks and Registration Clerks, who have complete 15 years minimum service as such but 10 percent additional promotions shall be made amongst from such Chief Registration Clerks and Registration Clerks of the department who hold law graduation with mentioned qualifying service:

Provided that promotion shall be made in such a way that as far as possible the number of persons promoted in any cadre should not exceed 35% of the cadre strength.

Note- For the purpose of promotion a combined selection list shall be prepared in which the names of the placed in order of seniority and after that persons of lower grade shall be placed in order of seniority and if their pay scales are equal then their names shall be placed on the basis of seniority decided on the basis of the date of their substantive appointment so that their inter se seniority determined.

Column-2 Rule as hereby substituted

5. Source of Recruitment-

- post in the service shall be made from the following sources-
- - (a) 65 percent by direct recruitment through commission:
 - (b) 35 percent posts by promotion 25 percent from amongst the permanent clerical cadre employees, Chief Registration Clerks and Registration Clerks, who have complete 15 years of minimum service as such:

Provided that 10 percent additional promotions from amongst such Chief Registration Clerks and Registration Clerks of the department, who hold law graduation in additional to the above mentioned qualifying service:

Provided further that promotion shall be made in such a way that as far as possible the number of person promoted in any cadre should not exceed 35 percent of the total cadre strength;

persons in higher grade shall be (ii) the promotion shall be made in the post of Sub-Registrar Grade I- Pay scale ₹ 15600-39100, Grade Pay ₹ 5400 From amongst substantively appointed Sub-Registrar Grade-II Pay scale ₹ 9300-34800 Grade Pay ₹ 4600, who have completed 5 years of continuous service on the first day of the year of recruitment through selection committee on the basis of seniority subject to the rejection of unfit.

Amendment of 3.

In the principal rule, the rule 16 set out in column 1 below, the rules as set out in column 2 shall be substituted; namely--

Column -1 Existing Rule

16.Procedure for recruitment by promotion

Recruitment by promotion to the posts of Sub-Registrar shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit according the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970 (as amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand).

Column-2 rule as hereby substituted

16. Procedure for recruitment by promotion

(a) Procedure of recruitment by promotion through the Departmental Promotion Committee --

Recruitment by promotion to the post of Sub-Registrar Grade-I shall be made on the basis of criteria fixed by duly constituted selection committee as per the provisions of the Uttarakhand Constitution of Departmental Promotion Committee (on Posts Outsight the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2002 (as amended):

Provided that if in the so formed constituted selection committee, person belonging to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes is not include than, any officer of such Tribes and Classes, who has no representation in selection committee any officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government shall be nominated 25 the member of the Committee:

(b) promotion to the above posts shall be made on the Uttarakhand basis of the Government Servants (Criterion Recruitment by Promotion) Rules, 2004 and the Uttarakhand (on Posts Outside the Purview of Public Service Commission) Selection Eligibility Lists Rules, 2003 and selection by promotion procedure shall be made on the basis of rules, 2009;

- (c) the appointing authority shall prepere an eligible list of the candidates along with the character rolls and such other records of the candidates as may be considered necessary and place it before the selection committee;
- (d) the selection committee shall consider the cases of the candidates on the basis of records referred to in clause (c) and, if it considers necessary, it may also call the candidates for interview;
- (e) the selection committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as determined in the cadre from which they have been promoted and forward it to the appointing authority;
- (f) procedure for recruitment by Promotion through Public Service Commission Promotion to the posts of Sub-Registrar Grade-II shall be made according the Uttarakhand Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 (as amended).
- Repeal of rule 4. With the repealing of rule 17 of the principal rule, the rest rules shall be deemed to be re-numbered.
- Amendment of rule 22

 In the principal rule for the sub-rule (2) of rule 22 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted; namely--

Column -1 Existing rule

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are as follow-

Column-2 rule as hereby substituted

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are as followspay scale ₹ 6500-200-10500 Amended pay scale ₹ 7450-225-11500. pay Scale ₹ 9300-34800 Grade pay ₹ 4200 Amended pay Scale ₹ 9300-34800 Grade pay ₹ 4600

Sub-Registrar, Grade I, shall be thirty percent of the total sanctioned posts of Sub-Registrar and by promotion from Grade II, the pay scale will be ₹15600-39100, Grade pay ₹ 5400. The initial pay scale of Sub-Registrar will be ₹ 9300-34800, Grade Pay, ₹ 4600.

The posting of Grade 1, which will be thirty percent of the total posts of Sub-Registrar will be appointed by the head of the department on the basis of necessity and administrative ground.

Amendment of
Appendix

In the principal rule, the Appendix as set out in column 1 below, the appendix as set out in column-2 shall be substituted; namely--

Column-1
The Uttarakhand Sub-Registrar Service
Rules, 2004

Column-2
The Uttarakhand Sub-Registrar
Service Rules, 2004

S. NO.	Name of post	Number of posts			
		Permanent	Temporary	Total	
1.	Sub- registrar	33	•	33	

S. No.	Name of post	Number of posts			
		Permanent	Temporary	Total	
1.	Sub- registrar Grade-II	49	-	49	

By Order,

RAKESH SHARMA, Additional Chief Secretary.